जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

37/15

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 37/2015 बृजलाल पुत्र श्री तुलछाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर बनाम 1–मनोज कुमार पुत्र लालचंद जाति कुम्हार निवासी चक 33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर 2–महेन्द्रकुमार 3–भागवंती 4–सुन्दरदेवी 5–बदरीराम 6–हनुमान 7–लिछमा 8–सावित्री 9–गुडडी उर्फ श्योकोरी 10–शान्ति 11– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

06.04.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रामलाल नेहरा उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित मुकदमा सं0 /2014 अनवानी मनोजकुमार बनाम बद्रीराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी बृजलाल द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

714
11-4-16

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official